भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3123
दिनांक 13, दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

3123. **डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का वर्ष /योजना/जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त योजनाओं के लिए आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष/योजना/जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओ के कार्यान्वयन के बाद निर्धारित और प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्यों का वर्ष/योजना/जिलावार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उपरोक्त किसी भी योजना के समय और लागत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं को तीन व्यापक मिशनों में शामिल किया गया है अर्थात (1) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सुरक्षा, देखरेख तथा कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य । इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(i) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** (**पोषण 2.0):** इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप–घटकों में पुनर्गठित किया गया है (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा ।

(ii) **मिशन शक्ति:** इसमें महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए क्रमशः दो घटक 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

(क) संबल - संबल घटक के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं जिसमें **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** - हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और समन्वित तरीके से निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एकीकृत समर्थन तथा सहायता प्रदान करने, **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल)** – एक 24x7x365 टोल-फ्री आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जो ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत है; **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** – घटते लिंगानुपात और जीवन चक्र निरंतरता पर बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंधित मुद्दों को समाधान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया; **नारी अदालत** - महिलाओं को सशक्त बनाने और न्याय सुनिश्चित करने जिसमें वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह कार्यनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है।

(ख) सामर्थ्य - निम्नलिखित योजनाओं को 'सामर्थ्य' घटक के अंतर्गत शामिल किया गया है: **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** - केन्द्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत पहले बच्चे और दूसरी संतान के रूप में लड़की होने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है; **उज्ज्वला, स्वाधारगृह (जिसका नाम बदलकर शक्ति सदन रखा गया है)** – दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह; **कामकाजी महिला छात्रावास (जिसका नाम बदलकर सखी निवास रखा गया है)** - शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं; **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केन्द्र (एनएचईडब्लू)** - राष्ट्रीय स्तर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना तथा **राष्ट्रीय क्रेच योजना (जिसे पालना नाम दिया गया है)** - का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य ने देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बेहतर पहुंच तथा सुरक्षा के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को एक मिशन मोड में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य है: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को समर्थन और पोषण देना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना (iii) नवोन्मेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए अवसर प्रदान करना

पिछले दस वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में मंत्रालय की उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत जारी/उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

मंत्रालय की उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र में भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियाँ **अनुलग्नक-II** में दी गई हैं।
मंत्रालय की सभी योजनाओं का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया गया तथा मंत्रालय की योजनाओं को तीन मिशनों में पुनर्गठित करते समय उनके सुझावों को शामिल किया गया।

*****

अनुलग्नक -I

'केन्द्र प्रायोजित योजनाएं' के सबंध में दिनांक 13.12.2024 को डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3123 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले दस वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को जारी/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(रूपए करोड़ों में)

क्रम सं	मिशन	वित्त वर्ष 2014-15		वित्त वर्ष 2015-16		वित्त वर्ष 2016-17		वित्त वर्ष 2017-18		वित्त वर्ष 2018-19		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग
1.	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	907.82	1476.21	1041.67	1071.35	1056.60	721.87	1029.57	1106.99	1712.14	1202.55	1331.36	1410.75	1187.83	1435.86	1713.39	1609.02	1646.17	1589.97	1699.52	-
2.	मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती एकीकृत बाल संरक्षण योजना)	7.62	7.62	31.38	19.75	22.72	15.69	6.08	26.97	31.56	19.22	24.49	19.41	34.33	44.07	54.67	41.43	71.32	73.50	95.37	-
3.	मिशन शक्ति – संबल	1.44	0	2.68	1.27	0.28	1.17	3.03	1.58	7	3.33	6.68	5.24	4.68	3.47	3.99	3.67	2.33	3.31	15.4	15.09
4.	मिशन शक्ति – सामर्थ्य	3.35	0	5.93	2.52	9.47	8.8	139.67	45.99	119.57	221.85	294.14	386.03	113.47	265.21	99.5	149.02	240.83	0	5.7	48.12

* - इसमें पिछले वर्षों की अव्ययित शेष निधि भी शामिल है

अनुलग्नक –ii

‘केन्द्र प्रायोजित योजनाएं’ के सबंध में दिनांक 13.12.2024 को डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3123 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मंत्रालय की योजनाओं के तहत महाराष्ट्र में भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियाँ

I. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	110552
लाभार्थियों की संख्या	6667455

की आयु के बच्चों के लिए महाराष्ट्र में बच्चों के लिए कुपोषण संकेतक (0 से 5 वर्ष):

	ठिगनापन %	**दुबलापन %**	**अल्पवजन %**
एनएफएचएस -4 (2015-16)	34.4	25.6	36.0
एनएफएचएस -5 (2019-21)	35.2	25.6	36.1
पोषण ट्रैकर (अक्टूबर, 24)	47.7	4.1	16.5

II. मिशन वात्सल्य

बाल कल्याण समिति	39
किशोर न्याय बोर्ड	37
राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	1
जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ	36
राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी	1
कुल बाल देखभाल संस्थान	**107**

III. मिशन शक्ति

क. सबंल

(i) वन स्टॉप सेंटर

कार्यशील वन स्टॉप केंद्रों की संख्या	45
लाभार्थियों की संख्या	33698

(ii) महिला हेल्पलाइन

पंजीकृत कॉल की संख्या	29.94 लाख
लाभार्थियों की संख्या	1.16 लाख

(iii) बेटी बचाओं बेटी पढाओं

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति **1000** पर महिला जीवित जन्म/पुरुष जन्म)	920	924	922	940	930	941	940	933	932

एचएमआईएस से लिए गए आंकड़े

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल	84.73	84.98	87.18	89.32	89.64	89.94	91.28	92.5

नामांकन अनुपात								

यूडीआईएसई से लिए गए आंकड़े

ख. सामार्थ्य

क्रम सं	**योजना**	**कार्यशील यूनिट**	**लाभार्थीयों**
1.	सखी निवास	74	5801
2.	शक्ति सदन	19	885
3.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	-	3,22,224

*****